

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर ।
सार्वजनिक नीलामी सूचना

माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन दिनांकित 23-03-2015 के अनुपालन में एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु जनपद न्यायालय स्थित पान शाप नं० 4, पान शाप नं० 5, वाहन स्टैण्ड, डी०एम०आवास गेट एवं वाहन स्टैण्ड न्याय भवन की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 04-04-2015 को 2-00 बजे अपराहन में परिसर स्थित सभागार में की जाएगी ।

नीलामी योग्य दूकानों/वाहन स्टैण्डों आदि का विवरण एवं उनके लिए न्यूनतम बोली की धनराशि तथा धरोहर की राशि निम्नवत् निर्धारित की गयी है :

| क्रम संख्या | दूकान/ठेका का विवरण | न्यूनतम बोली की राशि | निर्धारित धरोहर राशि |
|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | पान शाप नं०-4 | 15,730-00 | 3933-00 |
| 2 | पान शाप नं०-5 | 45,650-00 | 11413-00 |
| 3 | वाहन स्टैण्ड डी०एम०आवास गेट | 7,26,550-00 | 1,81,638-00 |
| 4 | वाहन स्टैण्ड न्याय भवन | 3,30,550-00 | 82,678-00 |

उक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों / ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

1- बोलीदाता/प्रतिभागी के विरुद्ध विगत किसी वर्ष के संबंध में कोई धनराशि अवषेश नहीं होनी चाहिए ।

2-बोलीदाता/प्रतिभागी को दिनांक 03-04-2015 के अपराहन 2-00 बजे तक स्तम्भ संख्या 4 में अंकित धरोहर/प्रतिभूति नकद रोकड़ के रूपमें नजारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा ।

3-बोलीदाता/प्रतिभागी को धरोहर/प्रतिभूति की धनराशि के साथ दिनांक 03-04-15 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास, हैसियत एवं चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापित फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करना होगा । इसके साथ ही प्रतिभागी को नोटरी शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दण्डनीय अपराध के संबंध में विचारण नहीं चल रहा है , एवं उसे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित अथवा दोषसिद्ध नहीं किया गया है ,तथा उसके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में पंजीकृत अभियोग की विवेचना नहीं चल रही है ।

23.3.15

